



# राँची विश्वविद्यालय, राँची

## अधिसूचना

मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड-सरकार, राँची के पत्रांक 5/वि1-79/2014/877 दिनांक 07.05.2015 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधन प्रदान किये जाने संबंधी निर्धारित तिथि के आलोक में राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत निम्नांकित 23 बी0एड0 महाविद्यालयों को NCTE विनियम-14 के तहत द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2015-2017 के लिए अधोलिखित शर्तों के साथ अस्थायी नव संबंधन औपबंधिक रूप से प्रदान की जाती है।

- क. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम - 2014 में अंकित प्रावधानों, मापदण्डों एवं शर्तों का सभी शिक्षण संस्थान ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- ख. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा भविष्य में दिये जाने वाले मार्ग-दर्शन/निदेशों का सभी शिक्षण संस्थान अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- ग. शैक्षणिक सत्र 2015-2017 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्रस्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्थानों को पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर से पुनरीक्षित प्रस्वीकृति (Revised Recognition) मिलने के पश्चात् ही संबंधित महाविद्यालयों को द्विवर्षीय B.Ed. पाठ्यक्रम के लिए संबंधन प्रदान करने संबंधी अधिसूचना पुनः निर्गत की जायगी।
- घ. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के अ0स0पत्र संख्या - 51-4/2014 /NCTE/ N&S (Vol.I) दिनांक 09.4.2015 के क्रम में निदेशालीय पत्रांक - 831 दिनांक 27.4.2015 द्वारा प्रदत्त निदेश का अनुपालन सभी शिक्षण संस्थान सुनिश्चित करेंगे।
- ङ. पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर से पुनरीक्षित प्रस्वीकृति (Revised Recognition) प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय/महाविद्यालयों का औपबंधिक अस्थायी नव संबंधन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही स्वतः समाप्त समझा जायगा।
- च. सभी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय NCTE Regulation 2014 में वर्णित प्रावधानों के तहत शिक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यार्थियों के नामांकन में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- छ. अगर कोई संस्थान किसी भी समय NCTE/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो विश्वविद्यालय वैसे संस्थान की सम्बद्धता समाप्त करने का विधिवत् प्रस्ताव तत्काल मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को उपलब्ध करायेगा।

1. अभिराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मराडीह, कुरु, लोहरदगा
2. शाश्वत इन्सटीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, हुटुप, ओरमोंझी, राँची
3. फातमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चन्दवे, कौके, राँची
4. उर्सलाईन विमेंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लोहरदगा
5. एन0एन0घोष सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कौके, राँची
6. बथेसदा विमेंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची
7. संत जेवियर्स कॉलेज, राँची

(जारी ..... पृष्ठ 2 पर)


15/5

8. समर्पण दीप बी0एड0 कॉलेज, उषामातु, रातु, राँची
9. पटेल-बी0एड0 कॉलेज, लोधमा खूँटी
10. शहीद शेख भिखारी कॉलेज, पिठोरिया, काँके, राँची
11. आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची
12. भारती कॉलेज ऑफ एडुकेशन, मांडर, राँची
13. मोतीराज देवी बी0एड0 कॉलेज, आनन्दी, ओरमाँझी, राँची
14. मनरखन महतो बी0एड0 कॉलेज, केदल, राँची
15. कैम्ब्रिज इन्सटीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टाटीसिल्वे, राँची
16. आत्तिय प्रकाश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदलुम, राँची
17. मदर जिरामनी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, ओरमाँझी, राँची
18. उदय मेमोरियल बी0एड0 कॉलेज, केदल, राँची
19. सीने अब्दुल रज्जाक अंसारी बी0एड0 कॉलेज, राँची
20. जे0डी0 नेशनल बी0एड0 कॉलेज, जानुम, राँची
21. जसपुरिया बी0एड0 कॉलेज, राँची
22. संघमित्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मनातु, राँची
23. संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड एजुकेशन, तुपुदाना राँची

कुलपति के आदेशानुसार  
ह०/-  
कुलसचिव  
राँची विश्वविद्यालय, राँची  
दिनांक 08/05/2015

पत्रांक... 61E/6031  
प्रतिलिपि-

1. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान ने प्रधानाचार्य/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ,
2. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
3. परीक्षा निगंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
4. प्रो०-इन-चार्ज, टेबुलेशन सेंटर, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
5. उप-कुलसचिव-I, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची,
7. क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर,
8. सहायक कुलसचिव-IV, पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
9. कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

  
08/05/2015  
कुलसचिव  
राँची विश्वविद्यालय, राँची